

रिपोर्ट पटवारी हल्ला / आई०एल०आर०  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाय ही पूर्व। विमर्श के अनुसार  
 खे० निदेश है कि जाय ही पूर्व। विमर्श के अनुसार  
 गौरीया पु० हुक्मरा है। जयदे सखारा के स्वरूप, नाम, पते, बाबागड, मूखरा  
 खान-फा के जाय ही रिपोर्ट का गौरीया पु० हुक्मरा है। अ०. सु० गौरीया के स्वरूप  
 पु० हुक्मरा के हुक्मरी के स्वरूप है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी 12/11/21  
 दिनांक : 12/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्देश है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चय की जाती है।

इकांत मिता नाथ  
 उदयपुरवाटी  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी मिता सुन्दर (रज.)  
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरानद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जयपुर	2075-2078	43	गौरीया पु० हुक्मरा	गौरीया पु० हुक्मरा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन नुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 उदयपुरवाटी (इ.सु.)  
 दिनांक :- 12/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 उदयपुरवाटी (इ.सु.)